कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विद्यालय अवलोकन/2018–19/92 दिनांक 22/02/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिले।

विषय :– आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में।
प्रसंग :– रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन/2018–19/12176 दिनांक 19.02.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में नवीन शैक्षिक परिदृश्य में जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर तक परिवर्तित शैक्षिक ढांचे के क्रम में राज्य में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु ऑनलाइन विद्यालय अवलोकन का कार्यक्रम सम्पादित किया जाएगा।

सत्र 2018–19 में विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के द्वितीय चरण अन्तर्गत आदर्श विद्यालयों का अवलोकन कार्य जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया गया था। वर्तमान नवीन परिवर्तित शैक्षिक ढांचे में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का पद ब्लॉक स्तर पर सृजित किया गया है। नवीन आदेशानुसार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के सघन विद्यालय अवलोकन की मुख्य जिम्मेदारी ब्लॉक कार्यालय की होगी। पूर्व में केवल आदर्श विद्यालय का अवलोकन कार्य उक्त प्रक्रियान्तर्गत किया जाता था, लेकिन अब उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य भी इसी तरह किया जाना है। विद्यालय अवलोकन पूर्व की भॉति जिला कार्यालय द्वारा सैम्पल के तौर पर नहीं किया जाकर, अधीनस्थ सभी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का शत्–प्रतिशत अवलोकन ब्लॉक कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

विद्यालय अवलोकन प्रक्रिया के प्रभावी परिवीक्षण हेतु जिला कार्यालय सैम्पल के तौर पर विद्यालय विजिट कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये संबंधित विद्यालय के अवलोकन का सत्यापन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यालय स्पष्ट कार्य योजना निर्माण कर सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का सत्यापन सुनिश्चित हो सके। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर से अवलोकन डाटा ऑनलाइन फीड होने के पश्चात् ही अवलोकन सत्यापन कार्य करना है।

आदर्श विद्यालय अवलोकन के दिवस ही ग्राम पंचायत में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का भी अवलोकन कार्य किया जाना है, जिससे ग्राम पंचायत में स्थित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य एक ही दिवस में सम्पन्न हो सके एवं उत्कृष्ट विद्यालय को अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ब्लॉक स्तर द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन कार्य दिनांक 06.03.2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विद्यालय अवलोकन के पश्चात् जारी हुए टिकिट्स के निस्तारण की सामूहिक जिम्मेदारी संस्था प्रधान, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की होगी। टिकिट्स के निस्तारण की असमर्थता की स्थिति में टिकिट्स को निस्तारण हेतु उच्च कार्यालय को प्रोन्नत किया जाएगा। जिला कार्यालय "संबंधित संभाग कार्यालय एवं राज्य कार्यालय (राज्य परियोजना कार्यालय–जयपुर/ निदेशालय–माशि एवं प्राशि, बीकानेर)" के साथ समन्वय स्थापित करना और

www.rajteachers.com

अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों एवं विद्यालयों का समीक्षात्मक परिवीक्षण एवं टिकिट्स निस्तारण में उनका सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के क्रम में, विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम हेतु नवसृजित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के स्पष्ट कार्य विभाजन, दायित्व एवं विस्तृत दिशा–निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रांक–12176 दिनांक 19.02.2019 में प्रदान किये गये है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्रानुसार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्धारित समयावधि में अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– रा.स्कूल शि.प.,जयपुर के पत्रांक–12176 दिनांक 19.02.2019 की प्रति।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / माध्य / आदर्श वि / विद्यालय अवलोकन / 2018–19/92 दिनांक 22/02/19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राज., बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
7. डाइट प्रधानाचार्य / अति.जिला परियोजना समन्वयक–समसा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी. एफ., समग्र शिक्षा अभियान (द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक–समसा)
8. प्रभारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, मा. / प्रा.शिक्षा राज.,बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

आदर्श ख० प्रकोष्ठ
19/02/19

आदर्श विद्यालय
आदर्श शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532
E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन/2018–19/12176 दिनांक : 19.2.19

कार्यालय – आदेश

वर्तमान नवीन शैक्षिक परिदृश्य में जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर तक परिवर्तित शैक्षिक ढाँचे के क्रम में राज्य में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु ऑनलाइन विद्यालय अवलोकन का कार्यक्रम सम्पादित किया जावेगा।

सत्र 2018–19 में विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के द्वितीय चरण अन्तर्गत आदर्श विद्यालयों का अवलोकन कार्य जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया गया था। वर्तमान नवीन परिवर्तित शैक्षिक ढाँचे में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का पद ब्लॉक स्तर पर सृजित किया गया है। नवीन आदेशानुसार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के सघन विद्यालय अवलोकन की मुख्य जिम्मेदारी ब्लॉक कार्यालय की होगी। पूर्व में केवल आदर्श विद्यालय का अवलोकन कार्य उक्त प्रक्रियान्तर्गत किया जाता था, लेकिन अब उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य भी इसी तरह किया जाना है। विद्यालय अवलोकन पूर्व की भाँति जिला कार्यालय द्वारा सैम्पल के तौर पर नहीं किया जाकर, अधीनस्थ सभी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का शत–प्रतिशत अवलोकन ब्लॉक कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

विद्यालय अवलोकन प्रक्रिया के प्रभावी परिवीक्षण हेतु जिला कार्यालय सैम्पल के तौर पर विद्यालय विजिट कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये संबंधित विद्यालय के अवलोकन का सत्यापन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यालय स्पष्ट कार्य योजना निर्माण कर सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का सत्यापन सुनिश्चित हो सके। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर से अवलोकन डाटा ऑनलाइन फीड होने के पश्चात ही अवलोकन सत्यापन कार्य करना है।

आदर्श विद्यालय अवलोकन के दिवस ही ग्राम पंचायत में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का भी अवलोकन कार्य किया जाना है जिससे ग्राम पंचायत में स्थित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य एक दिवस ही में सम्पन्न हो सके एवं उत्कृष्ट विद्यालय को अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ब्लॉक स्तर द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन कार्य दिनांक 15.02.2019 से 06.03.2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी हुए टिकट के निस्तारण की सामूहिक जिम्मेदारी संस्था प्रधान, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की होगी। टिकट के निस्तारण की असमर्थता की स्थिति में टिकट को निस्तारण हेतु उच्च कार्यालय को प्रोन्नत किया जाएगा। जिला कार्यालय 'संबंधित संभाग कार्यालय एवं राज्य कार्यालय (राज्य परियोजना कार्यालय–जयपुर/निदेशालय–माशि एवं प्राशि, बीकानेर)' के साथ समन्वय स्थापित करना और अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों एवं विद्यालयों का समीक्षात्मक परिवीक्षण एवं टिकट निस्तारण में उनका सहयोग करना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त के क्रम में, विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम हेतु नवसृजित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के स्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व निम्न प्रकार है :–

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) एवं पदेन राज्य परियोजना समन्वयक, SMSA :–

- अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा, अति. राज्य परियोजना समन्वयक–समग्र शिक्षा अभियान, डाइट–प्रधानाचार्य एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के निरीक्षण/अवलोकन हेतु मार्गदर्शन एवं सम्बलन प्रदान करेंगे।

www.rajteachers.com

- समस्त ब्लॉक्स से विद्यालय अवलोकन योजना प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार प्रत्येक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय का वर्तमान सत्र में कम से कम 1 बार निरीक्षण/अवलोकन सुनिश्चित हो।
- सीडीईओ स्वयं के लिए एवं जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, अति. जिला परियोजना समन्वयक (एडीपीसी), डाइट–प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (एडीईओ) के लिए सत्यापन हेतु आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय आवंटित करेंगे।
- कार्यक्रम अधिकारी के लिए सत्यापन हेतु केवल उत्कृष्ट विद्यालय आवंटित करेंगे।
- उक्त आवंटन में यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का सत्यापन सुनिश्चित हो सके।
- सम्पूर्ण जिले की वार्षिक/त्रैमासिक/माहवार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन योजना संभाग एवं राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्थित समस्त ब्लॉक्स की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण/ अवलोकन एवं टिकिट निस्तारण संबंधी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा कर प्रत्येक टिकट का निस्तारण करने में अधीनस्थ जिला, ब्लॉक कार्यालयों एवं विद्यालयों को आवश्यक सम्बलन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
- जिले में विद्यालय अवलोकन के दौरान जारी हुए किसी टिकट के निस्तारण का कार्य यदि 6 माह से अपूर्ण/प्रक्रियाधीन है, तो उक्त के निस्तारण हेतु विशेष मॉनीटरिंग करेंगे एवं संबंधित ब्लॉक/विद्यालय को आवश्यक सहयोग तथा सम्बलन प्रदान करेंगे।
- आवश्यकतानुसार संभाग अथवा राज्य कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर जिले में आदर्श एवं उत्कृष्ट वद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की समयबद्ध प्रगति एवं टिकिट निस्तारण की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे।

अन्य जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी :–

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार आवंटित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का नियमानुसार अवलोकन करेंगे।
- जिला स्थित विभिन्न ब्लॉक्स के साथ समन्वय स्थापित करना, आवश्यक सूचना ऑनलाइन करना तथा टिकिट निस्तारण प्रक्रिया में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का सहयोग करना एवं दिशा–निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) एवं पदेन बीआरसीएफ– SMSA :–

- अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण/अवलोकन हेतु आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का आवंटन कर उक्त की वार्षिक/त्रैमासिक/माहवार योजना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- स्वयं विद्यालय अवलोकन करेंगे एवं अधीनस्थ अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संदर्भ व्यक्ति द्वारा आवंटित आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालयों का समयबद्ध विद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त विद्यालय अवलोकन संबंधी डेटा ऑनलाइन करवाना, जारी हुए अथवा प्रोन्नत हुए टिकिट्स का समयबद्ध निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक स्थित समस्त आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के निरीक्षण/अवलोकन एवं टिकिट निस्तारण संबंधी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा कर प्रत्येक टिकट का निस्तारण करने में अधीनस्थ अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संदर्भ व्यक्ति एवं विद्यालयों को आवश्यक सम्बलन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

www.rajteachers.com

- अधीनस्थ विद्यालय में अवलोकन के दौरान जारी हुए किसी टिकट के निस्तारण का कार्य यदि 6 माह से अपूर्ण/प्रक्रियाधीन है, तो उक्त के निस्तारण हेतु विशेष मॉनीटरिंग करेंगे एवं विद्यालय को आवश्यक सहयोग तथा सम्बलन प्रदान करेंगे।
- आवश्यकतानुसार जिला कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर ब्लॉक में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की समयबद्ध प्रगति एवं टिकिट निस्तारण की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे।

अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसीबीईओ) एवं संदर्भ व्यक्ति (आरपी) :-

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार आवंटित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का नियमानुसार अवलोकन करेंगे।
- ब्लॉक स्थित विद्यालयों के साथ समन्वय करना, आवश्यक सूचना ऑनलाइन करना तथा टिकिट निस्तारण प्रक्रिया में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का सहयोग करना एवं दिशा-निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति केवल उत्कृष्ट विद्यालयों का निरीक्षण/अवलोकन कर सकेंगे।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान-सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
10. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक-समसा/जिला शिक्षा अधिकारी-माशि एवं प्राशि/डाइट प्रधानाचार्य/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी)
11. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, रास्कूलशिप, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित जिले में शत-प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन निर्धारित समय में किया जाना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र ऑनलाइन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

- शाला दर्पण पोर्टल पर आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने हेतु CDEO/DEO-Sec./DEO-Ele./ADPC/CBEO कार्यालय लॉगिन उपलब्ध रहेगा। इन कार्यालयों में कार्यरत आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन हेतु सक्षम अधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के लॉगिन का उपयोग कर सकेंगें। डाइट प्रधानाचार्य विद्यालय अवलोकन की ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु CDEO Login का प्रयोग करेंगे।
- इस हेतु अवलोकनकर्ता अधिकारी वेबसाइट rajsmsa.nic.in अथवा rajrmsa.nic.in के शाला दर्पण पोर्टल पर School/Office Login में User ID, Password एवं Captcha Code की प्रविष्टि कर Login करें।
  - Login पश्चात निम्न Window अनुसार **कार्यालय (Office)** के टैब में **विद्यालय अवलोकन → आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र** पर Click करें।

WINDOW 1

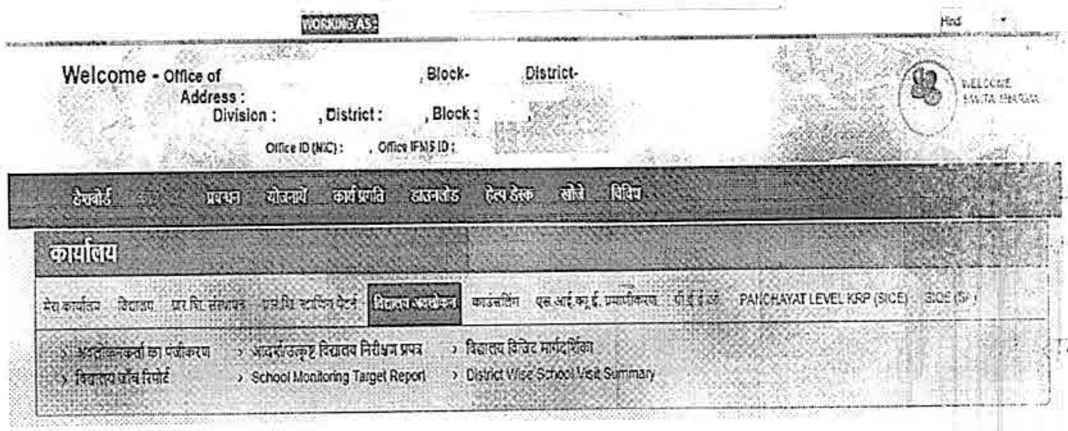

  - तत्पश्चात अवलोकनकर्ता अधिकारी प्रदर्शित निम्न कम्प्यूटर Window पर जिला, ब्लॉक एवं जिस आदर्श (फेज 1, 2, 3)/उत्कृष्ट (फेज 1, 2) विद्यालय का अवलोकन किया जाना है, का चयन करें।

WINDOW 2

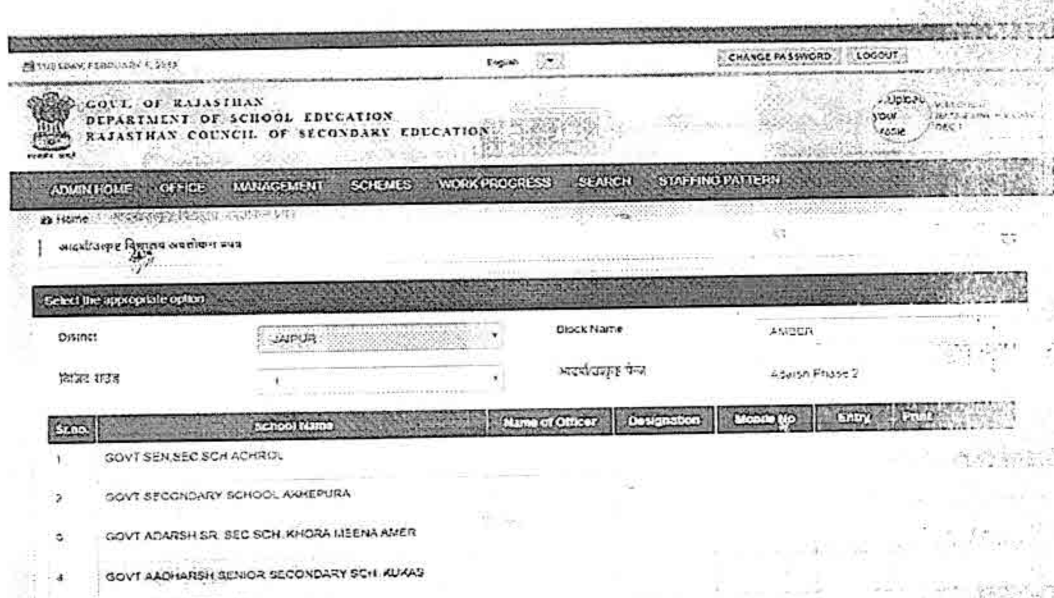

- चयनित/संबंधित विद्यालय पर Click करने के उपरान्त अवलोकनकर्ता अधिकारी निम्न कम्प्यूटर Window पर स्वयं से संबंधित विवरण की पूर्ति कर Save/Close करें।

WINDOW 3

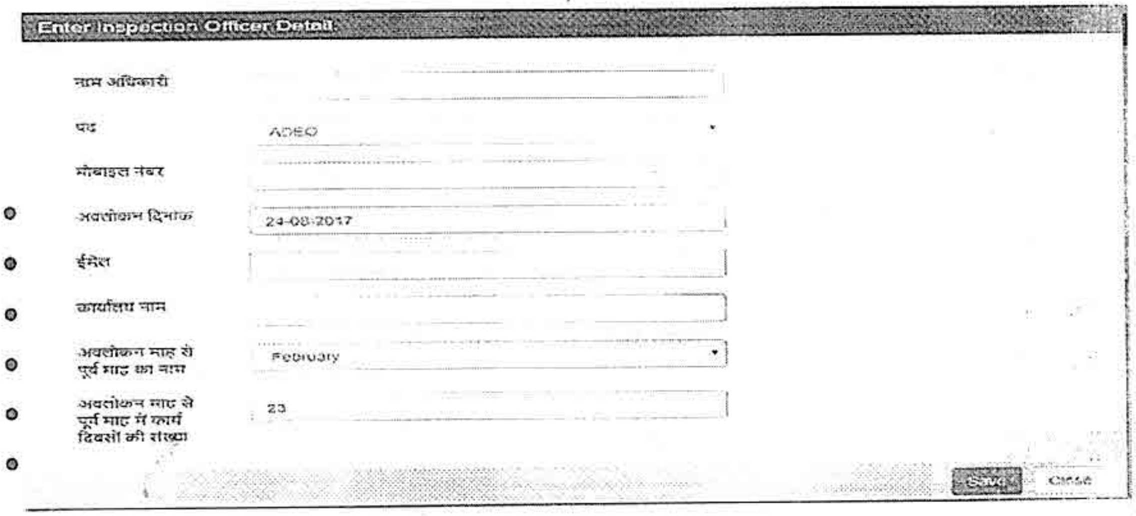

- उक्त के उपरान्त निम्न Window कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

WINDOW 4

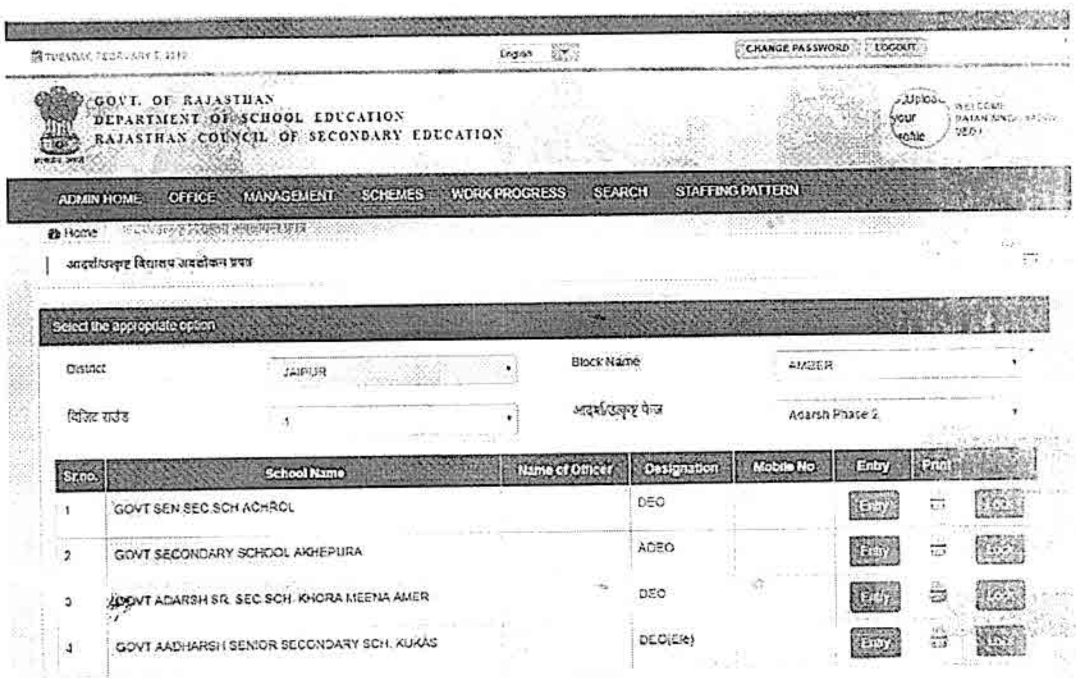

- विद्यालय अवलोकन हेतु जाने से पूर्व अवलोकनकर्ता अधिकारी उपरोक्त Window में चयनित/संबंधित आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के समक्ष Print टैब पर Click कर आवश्यक सूचना की पूर्ति हेतु पूर्व प्रिन्ट–आउट लेकर ही संबंधित विद्यालय में जावें।
- उक्त प्रिन्ट–आउट में विद्यालय की शाला दर्पण पोर्टल पर भरी हुई सूचनाऐं प्रदर्शित होंगी। अवलोकनकर्ता अधिकारी आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन करते समय समस्त सूचनाओं का सत्यापन/संशोधन अवलोकन प्रपत्र के दिशा–निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक करें।

www.rajteachers.com

- अवलोकनकर्ता अधिकारी विद्यालय अवलोकन के दौरान स्वयं के द्वारा दिए गए सम्बलन/सुझावों की प्रविष्टि विजिटर/आगन्तुक रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें।
- विद्यालय अवलोकन उपरान्त समस्त सूचनाओं की प्रविष्टि ऑनलाइन करने हेतु उपरोक्त **WINDOW-4** में संबंधित आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के समक्ष Entry टैब पर Click करें, जिसके उपरान्त निम्न Window कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसमें SCHOOL STAFF, STUDENT DETAIL, SCHOOL INFRASTRUCTURE, SCHOOL OPERATIONS, ACADEMIC PROGRAMS टैब पर शाला दर्पण के अनुसार वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी जिसे अवलोकन के अनुसार सत्यापित/संशोधित किया जाना है।

WINDOW 5

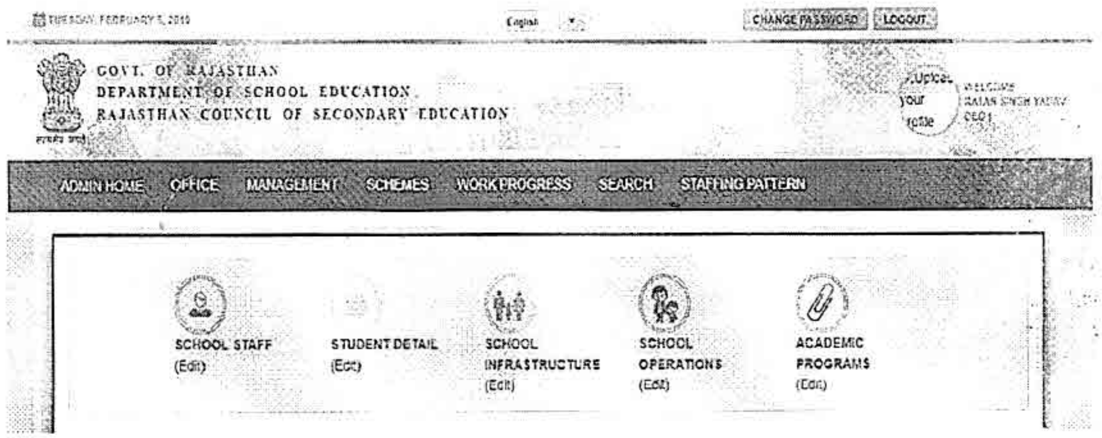

- अवलोकनकर्ता अधिकारी क्रमिक रूप से SCHOOL STAFF→STDUENT DETAIL→SCHOOL INFRASTRUCTURE→SCHOOL OPERATIONS→ACADEMIC PROGRAMS संबंधी समस्त सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि Save & Next टैब पर Click करते हुए सावधानीपूर्वक करें। किसी भी ऑनलाइन प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोडा जाना चाहिए।

- त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने की स्थिति में संबंधित टैब के नीचे (Edit) टैब पर Click कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही कर पुनः Save & Next किया जा सकता है।

- ACADEMIC PROGRAMS टैब में संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि करते समय अन्त में निम्न Window प्रदर्शित होगी।

WINDOW 6

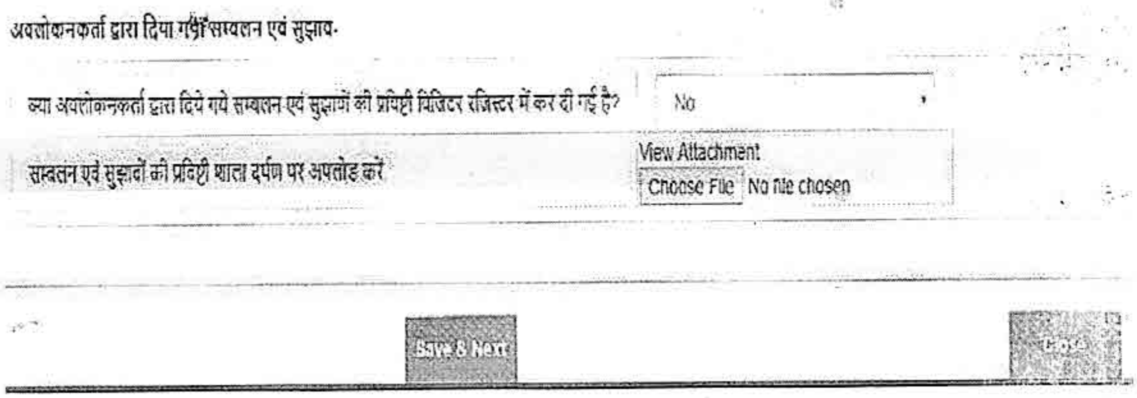

- उक्त Window के Choose File टैब पर Click कर अवलोकनकर्ता अधिकारी स्वयं द्वारा विद्यालय के विजिटर/आगन्तुक रजिस्टर में दिए गए सम्बलन/सुझावों की प्रविष्टि को फोटो लेकर अथवा स्कैन कर JPG/PNG/PDF etc. फॉर्मेट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- उक्त समस्त ऑनलाइन एन्ट्री सुनिश्चित करने के पश्चात Save & Next करते हुए Close टैब क्लिक करने पर संबंधित विद्यालय अवलोकन की ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण हो जाएगी।
- चयनित/संबंधित आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन की ऑनलाइन प्रविष्टि को लॉक करने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को भलीभाँति जाँच–परख लें, क्योंकि Lock किए जाने के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
- विद्यालय अवलोकन Lock करने हेतु Window-4 के अनुसार विद्यालय के समक्ष प्रदर्शित Lock टैब पर Click करें। तत्पश्चात Print टैब पर Click कर कार्यालय उपयोग हेतु ऑनलाइन भरी गईं समस्त प्रविष्टि अन्तिम प्रिन्ट–आउट के साथ–साथ अपलोड की गई सम्बलन/सुझाव संबंधी JPG/PNG/PDF File का प्रिन्ट–आउट लेना भी सुनिश्चित करें।
- विद्यालय अवलोकन के पश्चात शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन विद्यालय अवलोकन प्रपत्र में समस्त सूचनाऐं आवश्यक से फीड कर अपलोड की जावे तभी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन मापदण्ड की पालना सुनिश्चित होगी।

www.rajteachers.com